UPAG010062742026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2663/2026

शमशेर खान उर्फ खान उर्फ आशू खान पुत्र जुम्मा खां निवासी– सैंट जोसेफ स्कूल के पास, मदीना कॉलोनी, वार्ड नं0–28, मुर्गी फार्म के पास, धौलपुर थाना कोतवाली, धौलपुर, राजस्थान उम्र करीब 35 वर्ष

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य ———————— अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 318/2025
धारा–318(4),303(2),111(2)(ख)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–सदर, जिला आगरा।

दिनांक: 10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त शमशेर खान उर्फ खान उफ़ आशू खान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 318/2025 अन्तर्गत धारा 318(4),303(2),111(2)(ख) भारतीय न्याय संहिता थाना सदर आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई जमील खान द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। सह अभियुक्तगण के बयान के आधार पर अभियुक्त को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त द्वारा भागा हुआ दर्शित किया गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण

कुलजीत सिंह तथा राहुल की जमानत सत्र न्यायालय के स्तर से स्वीकार हेा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अंकित प्रताप सिंह द्वारा थाना सदर आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.05.2025 को वह अपना ए0टी0एम0 कार्ड लेकर अपने जीजा को लेकर गोपालपुरा एच0डी0एफ0सी0 बैंक पैसे निकाले गया तो वहां पर मौजूद तीन अज्ञात लोगों द्वारा उसके जीजाजी को धक्का देकर ए0टी0एम0 बदल लिया तथा उसके खाते से 25,000 रूपये निकाल लिये। यह घटना दिनांक 08.08.2025 को रात के 8–9 बजे की है।

वादी की तहरीर पर थाना सदर आगरा पर मु0अ0सं0 318/2025 अन्तर्गत धारा 318(4),303(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी के बहनोई को धक्का देकर, ए0टी0एम0 कार्ड छल से बदलकर खाते से 25,000 रूपये निकाले गये। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज की गयी है, आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण के बयान के आधार पर अभियुक्त को इस प्रकरण में संलिप्त किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही उसके कब्जे से अपराध से सम्बन्धित वस्तु बरामद की गयी है। इसके सापेक्ष अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.06.2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जाना एवं दिनांक 02.06.2026 से कारागार में निरूद्ध होना कहा गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण कुलजीत सिंह एवं राहुल की जमानत सत्र न्यायालय के स्तर से स्वीकार हो चुकी है।आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते

हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शमशेर खान उर्फ खान उर्फ आशू खान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त शमशेर खान उर्फ खान उर्फ आशू खान द्वारा **मु0 50,000/–रू0(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश
आगरा।
10.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.11 06:53:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court